प्रेस नोट दिनांक 22.07.2026

एसआईटी जीएसटी/साइबर क्राइम थाना जनपद बरेली

थाना साइबर क्राइम #bareillypolice टीम द्वारा फर्जी/अस्तित्वहीन फर्मों के माध्यम से करोड़ों रुपये (लगभग ₹118 करोड़) का फर्जी व्यापार दर्शाकर जीएसटी (GST) एवं आईटीसी (ITC) फ्रॉड करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश; गिरोह के 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, चेकबुक, लैपटॉप, मोबाइल एवं कूटरचित आधार कार्ड बरामद।

घटना/मामले का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 30.05.2026 को सहायक आयुक्त राज्य कर (जीएसटी) के द्वारा थाना साइबर क्राइम जनपद बरेली पर मुकदमा अपराध संख्या 30/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस (BNS), 66D आईटी एक्ट व 132 जीएसटी एक्ट बनाम पीसी इंटरप्राइजेस तिरुपति धाम सुभाषनगर बरेली पंजीकृत कराया कि अस्तित्वहीन फर्म पीसी इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर द्वारा अन्य फर्मो के साथ मिलकर षड़यंत्र के तहत करीब 20 करोड का फर्जी व्यापार दर्शाते हुये 01 करोड 28 लाख 55 हजार रुपये का जीएसटी फ्राड किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली श्री अनुराग आर्य के आदेश के क्रम में गठित एसआईटी जीएसटी के नोडल पुलिस अधीक्षक अपराध श्री मनीष चन्द्र सोनकर के नेतृत्व व मुख्य विवेचक संजय कुमार धीर के निर्देशन में विवेचक प्रभारी निरीक्षक श्री धनंन्जय कुमार पाण्डेय द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही कर वांछित अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु साइबर क्राइम पुलिस थाना माध्यम से पतारसी-सुरागरसी की जा रही थी। तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुये अस्तित्वहीन फर्म **पीसी इंटरप्राइजेस** एवं अन्य फर्जी फर्मों के माध्यम से एक संगठित गिरोह द्वारा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करके करोड़ों रुपये का वित्तीय फ्रॉड करने वाले गिरोह का अनावरण करते हुये दिनांक 21.07.2026 को मुखबिर की सटीक सूचना पर साइबर पुलिस टीम द्वारा मालगोदाम रोड, रेलवे लाइन के पास घटना में शामिल 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. **योगेन्द्र शर्मा** पुत्र ईश्वरचन्द शर्मा, नि0 ई-58, प्रताप विहार, थाना विजयनगर, जनपद गाजियाबाद (उ0प्र0), मूल नि0 ग्राम झाझर, जनपद बुलन्दशहर (उ0प्र0), उम्र करीब 37 वर्ष।
2. **टिम्पु** पुत्र लख्खु अहिरवार, नि0 साहिबाबाद, जनपद गाजियाबाद (उ0प्र0), मूल नि0 ग्राम कुठरी, थाना हटा, जनपद दमोह (मध्य प्रदेश), उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

1. **डेबिट/एटीएम कार्ड (02):** 01 एसबीआई एवं 01 बंधन बैंक।
2. **आधार कार्ड (02):** 01 योगेन्द्र शर्मा के नाम तथा 01 राघव गुप्ता के नाम से कूटरचित आधार कार्ड [Aadhaar Redacted] जिस पर योगेन्द्र शर्मा की फोटो लगी है।
3. **लैपटॉप मय चार्जर (02):** 01 Dell (S/N: 3LJYMJ2 MFGYR 2017) एवं 01 Acer (1 14Z2485) मय 01 चार्जर।
4. **मोबाइल फोन (06):** 02 सैमसंग (IMEI युक्त), 01 सेलकोर कीपैड, 01 आईटेल कीपैड, 01 रेडमी स्मार्टफोन मय विभिन्न फर्जी सिम कार्ड।
5. **चेकबुक व चेक (04):**
    - एसबीआई एवं पीएनबी बैंक की 04 चेकबुक।
    - ₹3.18 करोड़ से अधिक की धनराशि के 09 हस्ताक्षरित चेक।
    - 20 से अधिक ब्लैंक (खाली) हस्ताक्षरित व बिना हस्ताक्षर के चेक।

6. **डायरी एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज (107 वर्क):**
    - 01 लाल रंग की डायरी (करोडो रुपये के खाता-हिसाब, ईमेल आईडी व संपर्क नंबर (अंकित)।
    - ₹1,17,18,47,137/- (117.18 करोड़ रुपये) का एयर पे वालेट सम्बन्धि CMS फाइल रिकॉर्ड (14 पेज)।
    - विभिन्न ज्वैलर्स गोल्ड रिफाइनरी के करोड़ों रुपये के गोल्ड इनवॉइस व जीएसटी बिल।
    - फर्जी फर्मों (राधे ट्रेडर्स, इण्डियन , संजीवनी ट्रेडर्स आदि) के इनवॉइस एवं बैंक स्टेटमेंट।
    - विभिन्न राज्यों से संबंधित 03 फर्जी रेंट एग्रीमेंट एवं 01 पार्टनरशिप डीड।

<u>अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):</u>

अभियुक्त योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि वह वर्ष 2017-18 से अनमोल , अंकित व शिशिर बंसल के साथ मिलकर सैक़डो अस्तित्वहीन फर्मो का प्रयोग करते हुये जीएसटी फ्रॉड का काम कर रहा है। गिरोह के अन्य सदस्य (सुनील, दीपक , साहिल) आम लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम से फर्जी म्यूल खाते एवं अस्तित्वहीन फर्में खुलवाते थे। पीसी इन्टरप्राइसेस जैसी अस्तित्वहीन फर्मो का प्रयोग कर तथा - इंडियन ट्रेडर्स, राधे ट्रेडर्स, सज्जन ट्रेडर्स आदि जैसी फर्मो के म्यूल खातों का प्रयोग कर आईटीसी फ्राड से प्राप्त करोडो रुपये की रकम को सर्कुलर ट्रेडिंग कर अवैध तरीक से आहरित कर लेते है । हमारा गिरोह अस्तित्वहीन फर्मो द्वारा सीए (CA) की मद से फर्जी ई-वे बिल (E-Way Bills) अपलोड कर व पीसी इन्टरप्राइसेस जैसी अस्तित्वहीन फर्म का फर्जी जीएसटी आर 1 व श्री लाल जी मेटलएलोय व ए एस इन्टरनेशल जैसी लाभार्थी फर्मो का फर्जी जीएसटी आर 3 बी भर अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करते हैं, उक्त अपराध से विकसित की गयी धनराशि को म्यूल फर्मो के खातों में मगाकर को सर्कुलर ट्रेडिंग कर अवैध तरीक से आहरित कर लेते है जिसमे बडे सर्राफा व्यापारी, फौरेक्स एक्सचेज व एयर पे /सीएमएस जैसे डिजिटल वालेट प्लेटफार्म का प्रयोग करते है। प्राप्त कैश को आपस में बाटने के लिये हवाला कारोबारियों व नोटों के सीरियल नंबर को 'कोड भाषा' में इस्तेमाल कर करोड़ों रुपये की नकदी हिस्से के अनुसार आपस में बांट ली जाती हैं। विगत चार माह के बरामद दस्तावेजो / अभिलेखों के अवलोकन से करीब 01 दर्जन फर्जी फर्मों के माध्यम से **₹118 करोड़ रुपये** का फर्जी लेन-देन (टर्नओवर) कर सरकार को भारी राजस्व क्षति पहुँचाने की बात सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तारी करने वाली टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी।

<u>आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग:</u>

1. **अभियुक्त योगेन्द्र शर्मा:-** मु0अ0सं0 30/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, 66D आईटी एक्ट व 132 जीएसटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम बरेली।
2. **अभियुक्त टिम्पु:-** मु0अ0सं0 30/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस, 66D आईटी एक्ट व 132 जीएसटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम बरेली।

<u>पुलिस टीम:</u>

1. **प्रभारी निरीक्षक:-** धनंजय कुमार पाण्डेय (थाना साइबर क्राइम, बरेली)
2. **प्रभारी निरीक्षक-** श्री संजय धीर (थाना कैण्ट , बरेली) मुख्य विवेचक एसआईटी
3. **उप-निरीक्षक:-** कपिल राघव (थाना साइबर क्राइम, बरेली)
4. **उप निरीक्षक –** श्री अंकुर तोमर (थाना कैण्ट बरेली)
5. **हेड कांस्टेबल:-** धीरज कुमार (थाना साइबर क्राइम, बरेली)
6. **हेड कांस्टेबल:-** हर्षित वर्मा (थाना साइबर क्राइम, बरेली)
7. **कांस्टेबल:** -विवेक कुमार (थाना साइबर क्राइम, बरेली)
8. **कांस्टेबल:-** अंकुल कुमार (थाना साइबर क्राइम, बरेली)
9. **कांस्टेबल-** विजय कुमार (थाना साइबर क्राइम, बरेली)